



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 25.05.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 85 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 85 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 170/25 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

साहिल पुत्र इन्तजार निवासी मोहल्ला शेखपुरा कस्बा खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 85 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री कुलजीत कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
2. है0का0 599 सचिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत
- 3.का0 455 विजय सैनी थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 25.05.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 103/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24-04-25 को थाना रमाला पर वादी श्री संजय कुमार पुत्र दीपचन्द निवासी सैदपुरा खुर्द थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तो 1.मनोज पुत्र भोपाल 2.मंगल सेन निवासी नूनाखेडा थाना



तितावी जनपद मुजफ्फरनगर व 01 महिला द्वारा वादी की भतीजी को दहेज हेतु प्रताड़ित किया गया तथा मांग पूरी न होने पर जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 103/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0-103/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रमाला पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मनोज पुत्र भोपाल सिंह नि0 ग्राम कण्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत

2-01 महिला

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-नि० श्री विनोद कुमार थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-है०का० 263 मौ० आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत
- 3-है०का० 351 पवन थाना रमाला जनपद बागपत
- 4-म०का० 55 मनु चौधरी थाना रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 25.05.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 190/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



अनुरोध- बागपत पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे एवं लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन ना किया जाये, यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र जावेद निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमन्चा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० श्री प्रियवृत्त आर्य थाना सिघावली अहीर बागपत ।
2. उ०नि० श्री पुलकित सिंह राहल थाना सिघावली अहीर बागपत
3. का०४७९ कुलदीश शर्मा थाना सिघावली अहीर बागपत ।

